न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/361/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. बद्रीलाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

1. कंकु पत्नी माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।
2. किशनलाल पिता भगवानलाल जाति जाट् आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. प्रेमदेवी पत्नी रतनलाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच –वादी
अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच –प्रतिवादी सं0 1

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 11.11.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता संख्या 186 से आराजी संख्या 695 रकबा 0.72 हैक्ट0 स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है, व निवेदन किया कि बंटवाडा आराजीयात की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमावे की ग्राम हिंगोरिया के हल्के बैरूनी की हाल आराजी संख्या 695 रकबा 0.72 हैक्ट0 का मिट्स एण्ड बॉण्डस अनुसार बंटवाडा फरमा वादी का 19/72 हिस्सा अलग खाते दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 01.04.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 03.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 24.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता संख्या 186 से आराजी संख्या 695 रकबा 0.72 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. बद्रीलाल पुत्र भेरूलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	695/3	0.19	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.19	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

2. किशनलाल पुत्र भगवानलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	695 / 1	0.15	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.15	

3. प्रेमदेवी पत्नी रतनलाल जाति शर्मा सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	695 / 2	0.02	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.02	

4. कंकु पत्नी माधू जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	695 / 4	0.36	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.36	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन